न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीणा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 24/2025

श्योजी पुत्र श्री महादेव, जाति–जाट, निवासी–ग्राम जयलालपुरा उर्फ थूणी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. भौरीलाल (तथाकथित) पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम जयलालपुरा उर्फ थूणी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर हाल निवासी–मकान नम्बर–15, वार्ड नम्बर–19, चाकसू जिला जयपुर।
2. मोहन सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, जाति–राजपूत, निवासी– 574, ऋषि गालव नगर, गली नम्बर–9, गलता गेट, जयपुर।
3. पुरूषोत्तम सोनी पुत्र श्री कैलाश चन्द सोनी, निवासी–178, मामोडियों का मोहल्ला, चाकसू, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ए–23, महावीर नगर, पूजा टॉवर के पास, गोपालपुरा पुलिस चौकी के पास, टोंक रोड, जयपुर।
5. हेमलता शर्मा पत्नी श्री योगेश कुमार शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ए–23, महावीर नगर, पूजा टॉवर के पास, गोपालपुरा पुलिस चौकी के पास, टोंक रोड, जयपुर।
6. इन्द्रचन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री मोतीलाल खण्डेलवाल, जाति–महाजन, निवासी–बी–25, अग्रवाल नगर, किशनगढ मदनगंज, अजमेर ।
7. रौनक खण्डेलवाल पुत्र श्री इन्द्रचन्द खण्डेलवाल, जाति–महाजन, निवासी बी–25, अग्रवाल नगर, किशनगढ मदनगंज अग्रसेन नगर, अजमेर ।
8. सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, तहसील–चाकसू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू क्रमांक भू0अ0/2024/8345 दिनांक 09.10.2024 विभाजन पत्र श्री योगेश कुमार वगैराह ग्राम जयलालपुरा उर्फ थूणी, तहसील, चाकसू)

उपस्थितः–

श्री नरेश कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
श्री एन.एल. शर्मा, अभिभाषक, रेस्पाडेन्ट सं0 4 व 5 की ओर से।
पेरोकार सरकार उपस्थित।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

निर्णय **दिनांक : 25.03.2026**

ग्राम जयलालपुरा उर्फ थूणी की आराजी खसरा संख्या–243 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 244 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 246 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 247 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 298 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 299 रकबा 0.10 है., खसरा 302 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 303 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 306 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 308 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 309 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 310 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 311 रकबा 0.17 है., कुल किता 14 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर का विभाजन सहकाश्तकारों–खातेदारों की सहमति से तहसीलदार, चाकसू ने उनकी आज्ञा दिनांक 09.10.2024 द्वारा विभाजन किया है, जिससे व्यथीत होकर यह अपील पेश हुई है ।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलान्ट–प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री नरेशकुमार जैन ने कथन किया कि प्रार्थी–अपीलान्ट ने अप्रार्थी–रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जो ठोस, सारवान तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर आधारित है। जिसमें प्रार्थी–अपीलान्ट को पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। ग्राम जयलालपुरा उर्फ थूणी की वादग्रस्त आराजी खातेदार–काश्तकार अपीलान्ट के पूर्वज जगन्नाथ पुत्र बिरदा के नाम दर्ज थी। यह अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि है जिसके सम्बन्ध में उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के यहा विचाराधीन है। प्रार्थी अपीलाधीन आदेश से पीडित पक्षकार है। अपीलाधीन आज्ञा में बिना पक्षकार बनाये व बिना सूचना दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है। प्रार्थी के प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सहवन से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि समक्ष न्यायालय से जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी भूलवश है, जिसका तकनीकि आधार पर किसी पक्षकार को उसके अधिकारों से वंचित नही जा सकता है प्रार्थना–पत्र पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने के लिए अपील पेश करने की अनुमति/इजाजत फरमाई जावें।

अपीलान्ट–प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री नरेश कुमार जैन ने अपनी बहस को जारी रखते हुऐ कथन किया कि अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय उप

खण्ड अधिकारी, चाकसू के समक्ष एक वाद बावत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27/08/2024 को न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमा दिया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश कर दिये थे तथा दिनांक 23/09/2024 को पुरुषोतम सोनी द्वारा एक आदेश 01 नियम 10 CPC का प्रार्थना पत्र व धारा 151 CPC का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 23/09/2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 CPC स्वीकार करते हुए संशोधित उनवान व प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC के जवाब/बहस हेतु पत्रावली दिनांक 24/09/2024 को नियत कर दी गई दिनांक 25/09/2024 को प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC पर उभय–पक्षकारान की बहस सुनते हुऐ प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC स्वीकार कर दिनांक 27/08/2024 को पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे नही बढाए जाने का आदेश पारित कर स्थगन आदेश को वैकेट फरमा दिया गया परिणाम–स्वरूप पुरूषोतम ने दोराने वाद वादग्रस्त भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 से 7 को कर दिया । वादी–अपीलार्थी के हितो को क्षति पहुंचाते हुए उन्होने अपनी सहमती से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करा लिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । निर्णय गैर अपील में पारित विभाजन आदेश के सम्बन्ध मे तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार कोई प्रार्थना–पत्र आपसी सहमति के आधार पर विभाजन बावत पेश नही हुआ है बिना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुए तहसीलदार ने विभाजन का आदेश देने में भारी कानूनी भूल की है ऐसे विधि–विरूद्ध आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09/10/2024 विधि–विरूद्ध एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो की अनदेखी कर उनके विपरीत जाकर विधि–विरूद्ध आदेश पारीत करने में भारी कानूनी भूल की जिससे अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्ययालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के यहा अपीलार्थी द्वारा एक वाद बावत्त घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध उनवानी श्योजी बनाम भौरीलाल वगैराह प्रस्तुत कर रखा है जिसमें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा स्थगन आदेश भी पारीत कर रखा था जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को थी तथा अधीनस्थ न्यायालय भी उक्त वाद में पक्षकार है। जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09/10/2024 खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां भी अपील श्योजी बनाम भौरीलाल व योगेश बनाम श्योजी प्रस्तुत की हुई है जिसकी जानकारी भी अधीनस्थ न्यायालय को थी जिसमे अधीनस्थ न्यायालय भी पक्षकार है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान न देकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारीज किये जाने योग्य है। भूमि वादग्रस्त अपीलर्थी के पूर्वज जगन्नाथ पुत्र बिरदा के नाम थी लेकिन दौराने भू–प्रबन्ध उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम गलत दर्ज कर दी गयी थी जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से कोई व्यक्ति अपीलार्थी के ग्राम जयलालपुरा उर्फ थूणी में निवास नहीं करता है तथा रेस्पोडेन्ट सँख्या 2 तथा 3 ने आपस में मिली–भगत कर रेस्पाडेन्ट सख्या 1 के फेब्रीकेटेड दस्तावेजात बनाकर उक्त भूमि का बेचान अपने नाम करवा लिया तथा रेस्पोडेन्ट सख्यां 3 ने उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 को कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने सक्षम न्यायालय के समक्ष फर्जी विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत कर दिया जिसमे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर रखा है जो विचाराधीन है। जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09/10/2024 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी/वादी द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड में हुए गलत्त इन्द्राज होने के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा सक्षम सिविल न्यायालय में उक्त अवैध रूप से हुऐ विक्रय पत्रो को निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत कर रखा है सिविल न्यायालय से राजस्व रिकोर्ड व मोके की यथास्थिती कायम रखने के आदेश है। उक्त वादों में रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ न्यायालय पक्षकार है जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को भी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों/दस्तावेजात की अनदेखी करते हुए उक्त कानूनी सिद्वान्तो के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी मूल कारित की है जिससे उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त है तथा अपीलार्थी ही अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि का मौका देखे बिना ही खातेदार के कब्जे की जांच किये बिना उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का उवत निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट, अपीलार्थी की भूमि पर कब्जा करने तथा उक्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने व उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है जिससे अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। निर्णय जैर–अपील में पारित विभाजन आदेश के सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र आपसी सहमति बाबत पेश नहीं हुआ है

बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए तहसीलदार ने विभाजन का आदेश देने में भारी कानूनी भूल की है ऐसे अवैध विधि–विरूध आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है, दिनांक 18/04/2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 अपने साथ अन्य व्यक्तियों को लेकर उक्त भूमि पर आये तो अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलार्थी को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नही थी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25/04/2025 को उक्त निर्णय की नकल प्राप्त की जिससे उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है लेकिन अपीलार्थी कोई कानूनी पेचिदिगियों में नहीं पडना चाहते है जिससे धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09/10/2024 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुऐ तथा अपीलान्ट–प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हुऐ कथन किया कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर न्यायोचित रूप से पारित की गई है । अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार हासिल नहीं है चूंकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णित आदेश में पक्षकार नहीं है अर्थात सहमति विभाजन आवेदन में पक्षकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है अपीलार्थी का अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं है तथा अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने के लिए अलग से कोई अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत नहीं किया है रेस्पोडेन्ट द्वारा एतराज करने पर धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है अतः अपील कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने मिथ्या आधारों पर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है चूंकि आलौच्य आदेश की अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा अपीलार्थी स्वयं ने ही उक्त भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में हो रही प्रविष्टियों की जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही है अपीलार्थी की उक्त अपील जो प्रथम–दृष्ट्या ही मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अपीलार्थी ने उक्त अपील आपसी सहमति से विभाजन के आदेश को चुनौती दी है जबकि उक्त सहमति विभाजन धारा 53 काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के सह–खातेदारों द्वारा सहमति से विभाजन किया गया है जिसके संबंध में अपीलार्थी को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है कानूनी रूप

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

से सह–खातेदार ही भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवा सकते है और उक्त विधिक स्थिति के अनुरूप ही उक्त भूमि के सह–खातेदारों द्वारा ही उक्त भूमि का सहमति से ही विभाजन किया गया है जिसके संबंध में राजस्व रिकार्ड की पुष्टि हेतु पटवारी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है पटवारी महोदय ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि के काबिज खातेदार योगेश कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा,. हेमलता शर्मा पत्नी योगेश शर्मा, इन्द्रचन्द खण्डेलवाल पुत्र मोतीलाल खण्डेलवाल, रोनक खण्डेलवाल पुत्र इन्द्रचन्द खण्डेलवाल को रिकार्डेड खातेदार प्रमाणित माना है तथा जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना माना है तथा जिसके संबंध में भू–अभिलेख निरिक्षक की रिपोर्ट एवं तहसीलदार की आज्ञा अनुसार उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है जिसके पश्चात ही उक्त आलौच्य आदेश जिसके आधार पर ही उक्त भूमि का विधिवत विभाजन किया गया है जिसके संबंध में आपत्ति करने का अपीलार्थी को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है जमाबन्दी में राजस्व रिकार्ड सही है या गलत है यह विषय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के समक्ष तय होने है ऐसी स्थिति में तात्कालिक समय सहमति से विभाजन किये जाते समय उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं था तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से ही उक्त भूमि का विधिवत विभाजन किया गया है और जिसके संबंध में ही तहसीलदार महोदय ने सम्पूर्ण जांच पडताल कर उक्त आदेश पारित किया गया है जिसके संबंध में अपीलार्थी को आपत्ति करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है एवं कानूनी रूप से सहमति विभाजन के आदेश की अपील कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी तृतीय पक्षकार है जो कि उक्त भूमि का सह–खातेदार भी नहीं है जिसको उक्त आपत्ति करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। अपीलार्थी ने मिथ्या आधारों पर उक्त अपील प्रस्तुत की है अपीलार्थी स्वयं ने उक्त अपील में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद बाबत घोषणा का न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है ऐसी स्थिति में उक्त वाद में सम्पूर्ण अधिकार तय होने है जिस कारण भी उक्त अपील कानूनी रूप से मेन्टीलेबल नहीं है चूंकि अपीलार्थी ने अपने खातेदारी अधिकारों हेतु सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा सम्पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय में तय होने है ऐसी स्थिति में उक्त समस्त बिन्दू जोकि अपीलार्थी ने उक्त अपील में उठाये है उक्त समस्त तथ्य विचाराधीन वाद में तय होने है जिस कारण भी उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के सद्भावी क्रेता है तथा उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथाकथित विक्रय पत्रों के संबंध में अपीलार्थी ने सिविल न्यायालय के समक्ष अपील में प्रस्तुत आधारों पर ही विक्रय पत्रों को

निरस्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया था उक्त वाद भी अपीलार्थी का सिविल न्यायालय ने खारिज फरमाया दिया गया अब उन्हीं आधारों पर अपीलार्थी ने मिथ्या आधारों पर उक्त अपील प्रस्तुत की है जो कि प्रथम–दृष्ट्या ही पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी मय हर्जे खर्चे खारिज फरमायी जावे।

पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पारित की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । वादग्रस्त आराजी के सहकाश्तकारों द्वारा विभाजन हेतु आवेदन करने पर विधि–अनुसार जांच कर सक्षम अधिकारी द्वारा न्यायोचित आज्ञा पारित की है । सह–खातेदारों ने अपीलाधीन आज्ञा को चुनौती नही दी है । अपीलान्ट ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन है । जब वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन है और ट्रायल कोर्ट द्वारा हक–हकूक तय होगें तो तद्नुसार तत्समय कार्यवाही होगी । अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें ।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध नकल फोटोस्टेट प्रति अपील अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 सीपीसी न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 11 सांगानेर, नकल फोटोस्टेट प्रति प्रकरण संख्या 335/2024 उनवानी श्योजी बनाम भौरीलाल न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू, नकल फोटोस्टेट प्रथम सूचना रिपोर्ट से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा प्रकरण दर्ज कराये हुऐ है जो विचाराधीन है हांलाकि हम इससे यह तय नही कर रहे है कि प्रकरण दायर होने से ही अपीलान्ट के वादग्रस्त आराजी में अधिकार उत्पन्न हो गये है यह तो सम्बन्धित न्यायालय ही तय करेगा परन्तु इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपना हक तय कराना चाहता है ऐसी स्थिति में हम विचारण प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत स्वीकार करते है साथ ही अपील पेश करने में किसी प्रकार का विलम्ब हुआ है तो विलम्ब को क्षम्य करने के आदेश देते है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपने हक–हकूक तय कराने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है और ट्रायल कोर्ट ही सम्बन्धित पक्षकारान के हक–हकूक के सम्बन्ध में अपना निर्णय देगी । चुनोतिधीन आज्ञा से सह–काश्तकारों–सह–खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है । बंटवारे को सह–खातेदारों द्वारा चुनौती नही दी गई है, बंटवारा स्वीकार करने की दिनांक को किसी न्यायालय का स्थगन नही था वरवक्त बहस अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा स्वीकार किया

कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुऐ स्थगन आज्ञा दिनांक 27.08.2024 को आगे नहीं बढाये जाने की आज्ञा पारित करते हुऐ स्थगन आज्ञा वैकेट फरमा दी गई परिणामस्वरूप पुरूषोत्तम ने वादग्रस्त आराजी का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 7 को कर दिया इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार द्वारा आराजी का बैचान किया गया है और क्रेता खातेदार–काश्तकारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ है जिसमें सह–खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार से अपीलान्ट के हक–हकूक है तो वह नियमित वाद में तय होंगे और तत्समय तद्नुसार कार्यवाही हो सकेगी । इस स्तर पर अपीलान्ट किसी प्रकार की दादरसी पाने का हकदार नहीं है अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 09.10.2024 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(मेघराज सिंह मीणा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर